न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – एतवा चीक बडाईक ......वगैरह ।

बनाम

वाद सं0 16/2022

द्वितीय पक्ष – शिवनारायण सिंह ..... बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 28/11/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 08/2022 दिनांक 25/04/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) एतवा चीक बडाईक उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 दुखचरण चीक बड़ाईक (2) निमा बड़ाईक उम्र 30 वर्ष दोनो ग्राम कानेबीर बजार टांड थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) शिवनारायण सिंह उम्र 40 वर्ष (2) मनभरण सिहं उम्र 45 वर्ष पिता ईश्वर सिंह (3) निर्मल सिंह उम्र 50 वर्ष पिता दर्पण सिंह (4) भूषण सिंह उम्र 38 वर्ष (4) भूषण सिहं उम्र 38 वर्ष पिता सव0 मनिजर सिंह (5) जगरनाथ सिंह उम्र 23 वर्ष पिता शिवनारायण सिंह ग्राम गांडा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं0 106 प्लॉट सं0 2231 कुल रकबा 1.87 एकड़ भूमि को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः द्वितीय पक्षों के पक्षो उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.12.01 11:31:37 +05:30
Location: 192.168.178.239